कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–697 /12-1 :देहरादूनः दिनांकः 6– अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO. - FP/UK/RAIL/148843/2021**

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/07/28/2022/एफ0सी0/1813 दिनांकः–16.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, के पत्र दिनांकः–16.03.2023 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के पत्रांक 708/12–1 दिनांक 14.09.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है : –

| क्र. सं0 | अधिरोपित शर्त | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 708/12–1 दिनांक 14.09.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरण :** | |
| | (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष संख्या–5 पर 1180 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। | (क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष संख्या–5 पर 1180 पौंधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) धनराशि रु0 5,29,573.00 (पांच लाख उन्तीस हजार पांच सौ तिहत्तर) मात्र चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** |
| | **(ख)** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और | (ख) वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 708/12–1 दिनांक 14.09.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त |

| | | |
|---|---|---|
| | डब्ल्यू0एल0एम0सी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | का अनुपालन किया जायेगा। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आव यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत तथा 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि अग्रिम रूप से कैम्पा कोश में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| | **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09. 05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.4769 है0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत **0.4769 है0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 6,16,560.00 (छः लाख सौलह हजार पांच सौ साठ) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| | **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है कि शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। **(संलग्नक–2)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से पूर्ण कर ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में पूर्व में संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम दिनांक 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिये। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 11 | नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेशतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड कर उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय,

05/10/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**संख्या–697 /12–1 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 708 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 14 ,2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148843/2021**

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/07/28/2022/एफ0सी0/1813 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 604/12–1(2) दिनॉक 16.08.2023 (संलग्न) से अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश ने अपने पत्रांक–**RVNL/RKSH/FRST/(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH** दिनांक 18.08.2023 से प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार प्रभागीय कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित किया गया हैः–

| क्र0सं0 | शर्त का विवरण | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 604/12–1(2) दिनॉक 16.08.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरणः– | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष सं0–5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।** | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष सं0–5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) धनराशि **रुपये 5,29,573.00 (पांच लाख उन्तीस हजार पांच सौ तिहत्तर)** मात्र जमा की गई है **(संलग्नक–1)** तथा शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| (ख) | प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः पेज 02 पर

स0अ0/प्रभारी रुद्रप्रयाग
आ0का0हेतु।

JAIDEEP

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 1286
पत्रावली 1...
दिनांक 28-9-23

21-9-23

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव की लागत **रुपये 5,29,573.00 (पांच लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ तिहत्तर) मात्र** जमा की गई है **(संलग्नक–1 के अनुसार)** तथा शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4769 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.4769 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 6.16.560.00 (छः लाख, सोलह हजार, पांच सौ साठ) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–2)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल **रुपये 11,46,133.00 (ग्यारह लाख, छियालीस हजार, एक सौ तैतीस) मात्र की धनराशि** ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |

क्रमशः पेज 03 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

| | | |
|---|---|---|
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार स मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 708 /12-1 दिनॉक

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक 19/23
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

IAIDEEP

| | | |
|---|---|---|
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र पूर्व में पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं। |
| 9 | नवीनत्तम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनत्तम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पत्ति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिये। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 11 | नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन उच्च स्तर से किया जाना है। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त लागू नहीं है। |
| 14 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः पेज 04 पर

® रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
**Office of Chief Project Manager**
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

**RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 153** **Dated: 17.07.2023**

**सेवा में ,**
प्रभागीय वनाधिकारी ,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

**विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148843/2021)**

**सन्दर्भ:- 1.** सहायक महानिरीक्षक (वन ), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /28 / 2022 /एफ.सी./1813 दिनांक 16. 03. 2023 ।
**2.** आपका पत्रांक - 3262 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03. 04. 2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें , जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्न्वत प्रेषित की जा रही है:

| क्र0 सं0 | निर्धारित शर्ते /आपत्तियां | अनुपालन /शर्तो का निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी। | अनुपालन किया जायेगा एवं दोगुनी अवक्रमित वन भूमि (Degraded Forest Land) पर प्रतिपूरक वनीकरण कराने हेतु कैम्पा फंड में देय राशि जमा करा दिया गया हैं। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरण**<br>(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, जाखाल क0 सं0 5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहा तक व्यावहारिक हो , स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**<br>(ख) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम्0 एल0 फाइल , वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा। | आपके पत्रांक -3262/12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 5,29,573.00 (पांच लाख, उन्तीस हज़ार, पांच सौ तिहतर)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और | आपके पत्रांक -3262 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 5,29,573.00** |

| | | |
|---|---|---|
| | स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है। | **(पांच लाख, उन्तीस हज़ार, पांच सौ तिहतर)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य**<br>(क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्य न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2 ) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.4769** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | आपके पत्रांक -3262 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 6,16,560.00 (छ: लाख, सोलह हज़ार, पांच सौ साठ)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)<br><br>शपथ-पत्र संलग्न। |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित /जमा किये जायेंगे। | अनुपालन किया गया है।<br>निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 19.05. 2023 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न )। |
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा। | अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है। |
| 9 | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 11 | नोडल अधिकारी, State Campa यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है। |
| 14 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 15 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य | अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई |

| | | |
|---|---|---|
| | क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | जाएगी। |
| 17 | संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित हो। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा। |
| 20 | केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण ) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। | वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि नही किया जायेगा। | प्रत्यावर्तन हेतु चयनित स्थल से उत्सर्जित मलवे को पुर्व में अधिकृत मलवे स्थान (मक डंपिंग यार्ड) पर ही किया जायेगा। अतः अनुपालन किया जाएगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | अनुपालन किया जाएगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी। | अनुपालन किया जाएगा। |

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो के सम्बन्ध में वांछित आख्या (मूल +04 प्रतिलिपि) आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

**संलग्नक - यथोपरि।**

भवदीय

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

® रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
**Office of Chief Project Manager**
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

## शपथ -पत्र

**विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148843/2021)**

सहायक महानिरीक्षक (वन ), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /28 / 2022 /एफ.सी./1813 दिनांक 16. 03. 2023 द्वारा वर्णित क्र. सं. 5 (ख ) में उल्लेखित, "विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- **moef.ddn@gov.in**

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/07/28/2022/एफ.सी. 11813 दिनांकः 16/03/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/RAIL/148843/2021)**

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **2504/FP/UK/ RAIL/148843/2021 दिनांक 19-04-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.08.2022 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष सं0 5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**
   ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4769 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

10. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

11. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

12. **राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।**

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

2/3 contd..

22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

16.3.23
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

R.No. 173
10/04/2023

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3262/ 12-1(2) दिनांक 03 /4 / 2023::

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि0,
ऋषिकेश।

विषय :- **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन।**
**PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148843/2021**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./07/28/2022/एफ.सी./1813 दिनांक 16.03.2023।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है–

(1) **शर्त संख्या–3(क) एवं 04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि जाखाल क0 सं0–5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2023–24 हेतु देय दर 4,48,791.00 के अनुसार रुपये 1.180 @ 4,48,791.00 = **5,29,573.00 (पांच लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ तिहतर)** मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) **शर्त संख्या–5(क)** के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र–भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत घनत्व 0.4 (40 प्रतिशत) है, तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 0.4769 ha. @ 12,92,850.00/ha. = **6,16,560.00 (छः लाख, सोलह हजार, पांच सौ साठ) मात्र की धनराशि** जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशियों को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार के उक्त पत्र में **उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या कॉलमवार/बिन्दुवार मय संलग्नक ऑनलाईन/ऑफलाईन (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में** शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

**संख्या– /दिनांकित।**

**प्रतिलिपि 1:–** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि 2:–** वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-05-2023

| | |
|---|---|
| Agency Name. | CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED |
| Application No. | 59148843347 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/07/28/2022/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, RishikeshDehradun |
| Amount(in Rs) | 1146133/- |

**Amount in Words** :Eleven Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Thirty-Three Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1508959148843347<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-05-2023

| | |
|---|---|
| Agency Name. | CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED |
| Application No. | 59148843347 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/07/28/2022/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh Dehradun |
| Amount(in Rs) | 1146133/- |

**Amount in Words** :Eleven Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Thirty-Three Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1508959148843347<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

**Online payment history made by User Agency under CAMPA**

▿ Help

| Sno. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UK/RAIL/148843/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148843/2021)<br><br>Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Nagrasu | RAIL1488432021347 | 59148843347 | 16 Mar 2023 | CA: 529573/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 616560/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1146133/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 May 2023<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 02 Jun 2023<br>Transaction Date : 19 May 2023 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/270420231254339837_FPUKRAIL148843<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148 |
| 2 | FP/UK/RAIL/148884/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148884/2021)<br><br>Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Civil Soyam Land at Sirobgarh Village | RAIL1488842021375 | 59148884375 | 31 Aug 2022 | CA: 1370853/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 2171988/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3542841/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Nov 2022<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 16 Nov 2022<br>Transaction Date : 19 May 2023 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151120221342554335_FPUKRAIL148884<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148 |
| 3 | FP/UK/RAIL/148846/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148846/2021)<br><br>Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Ratura | RAIL1488462021995 | 59148846995 | 30 Aug 2022 | CA: 1187257/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 1881097/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3068354/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Nov 2022<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 15 Nov 2022<br>Transaction Date : 22 Nov 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/051120221341270314_FPUKRAIL148846<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148 |

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

AXIS BANK

## Statement of Account No : 919020084954180

| Tran Date | Value Date | CHQNO | Transaction Particulars | Amount(INR) | DR\|CR | Branch Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2023 | 19-05-2023 | - | RTGS/UTIBR72023051900042790/0006010538RVNL2023/UT | 11,46,133.00 | DR | RISHIKESH [UT] |